छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 359/2006

श्री गोविंद राम वर्मा
मोतीपुर चौकीपारा, वार्ड नं. 6
कृपासिन्धु आश्रम, राजनांदगांव
जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

..... **अपीलार्थी**

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
संचालक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
छत्तीसगढ़, रायपुर ..... **प्रतिअपीलार्थी**

प्रथम अपीलीय अधिकारी,
विशेष सचिव राजस्व,
छत्तीसगढ़ शासन ..... **प्रतिअपीलार्थी**

:: आदेश ::
(दिनांक 09 नवम्बर 2006)

श्री गोविंद राम वर्मा के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, विशेष सचिव, राजस्व विभाग को अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील पर समयावधि में कोई निर्णय न देने के फलस्वरूप यह अपील प्रस्तुत की गई।

2/ अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री से आवेदन पत्र दिनांक 16–01–2006 के द्वारा जानकारी चाही थी कि श्री पी.सी. सेठ, संचालक, शासकीय मुद्रणालय के विरूद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी को दी गई शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही थी। उनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में श्री पी.सी. सेठ के विरूद्ध लोक धन की बर्बादी करने आदि के आरोप का उल्लेख किया गया। जन सूचना अधिकारी श्री सेठ के द्वारा जानकारी लोकहित में न होने के कारण देने से अस्वीकार किया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपील विशेष सचिव, राजस्व विभाग को प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्णय समयावधि में नहीं दिये जाने के कारण यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी तथा प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसने माननीय मुख्यमंत्री जी को श्री पी.सी.सेठ के विरूद्ध शिकायत की थी जिसको कि आवश्यक

कार्यवाही हेतु विभाग में भेजा गया था। विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी उसके द्वारा मांगी गई थी जो कि समयावधि में नहीं दी गई। अतः जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क है कि अपीलार्थी के द्वारा श्री पी.सी. सेठ पर दोषारोपण करते हुए तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जानकारी चाही है। श्री पी.सी. सेठ शासन के द्वारा ढिलाई तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सदस्य थे। इस समिति ने अपनी बैठक दिनांक 30–12–1997 में अपीलार्थी का सेवा अभिलेख एवं शासकीय कार्य संतोषजनक नहीं होने के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति किये जाने की अनुशंसा की थी, इस कारण अपीलार्थी द्ववेषवश आरोप लगाते हुए जानकारी चाह रहा है। अपीलार्थी के द्वारा जो जानकारी मांगी जा रही है, वह उसे मुख्यमंत्री सचिवालय से अथवा शासन से मांगना चाहिए।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा श्री पी.सी.सेठ, संयुक्त नियंत्रक, संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को की गई शिकायत पर की गई कार्यवाहियों की छायाप्रति मांगी। उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री सेठ वर्षो से संयुक्त नियंत्रक के जिम्मेदार पद पर हैं तथा विभाग के भ्रष्ट कार्यों तथा लाखों–करोड़ो की शासकीय धन की बर्बादी के लिए उत्तरदायी हैं। उल्लेखनीय है कि उसके द्वारा यह जानकारी संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री से मांगी गई जबकि उसे यह जानकारी शासन (राजस्व विभाग) से मांगना थी। श्री पी.सी.सेठ के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार शासन को है। राजस्व विभाग के सूचना अधिकारी पृथक से नियुक्त हैं।

5/ यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र हनन् अथवा अनर्गल आरोप लगाने के लिए नहीं होना चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को जानकारी प्राप्त करने का ही अधिकार है। स्वयं अपीलार्थी को म.प्र. शासन के द्वारा शासकीय सेवा संतोषजनक न होने के कारण सेवा से पृथक किया गया है। शासकीय कर्मचारियों की सेवा की समीक्षा करने की समिति में श्री पी.सी. सेठ भी सदस्य थे। उनका यह तर्क है कि अपीलार्थी इसी कारण उनके विरूद्ध द्ववेषवश सूचना का अधिकार का दुरूपयोग कर रहा है।

6/ चूंकि अपीलार्थी ने सूचना अधिकारी, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री से श्री पी.सी.सेठ के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी चाही जो कि उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी को उक्त जानकारी नहीं दी गई। अतः समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त